



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 580

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक प्रो. जे. ए. प. व. स्मार्ट सिटी

CGRERA-P-: SM-PRO-2019-00849

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23.05.2020	<p>प्रकरण प्रस्तुत । कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक-40/रेरा/2020/566; रायपुर, दिनांक 20.05.2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तिथि बढ़ाई गई ।</p> <p>मा0दि0- 22/07/2020</p> 	
10.08.2020	<p>प्रकरण प्रस्तुत । कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्राधिकरण के आदेश/सूचना पत्र क्रमांक-784/पंजी./रेरा/2020 रायपुर दिनांक 21.07.2020 एवं आदेश क्रमांक-08/वाचक/रेरा/2020 रायपुर दिनांक 21/07/2020 के अनुसार प्रकरण में तिथि बढ़ाई गई ।</p> <p>मा0दि0- 26/08/2020</p> 	
26/8/2020	<p>(1) Case taken today through VC. NA absent.</p> <p>(2) Notice unsewed due to insufficient address.</p> <p>(3) Report received from SDM, Patan on 9/8/2020 stating that no land has been seen found in the name of the project in revenue records.</p> <p>(4) Case fixed for further proceedings.</p>	

ढ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

5. पक्ष. स्मार्ट सिटी

प्रकरण दर्ज दिनांक

CGRERA-P: SM-PRO-2019-00849

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

directions of Hon' Authority
sent to Collector, District - ~~Raipur~~
Joint Director - Town and Country
, Durg, to take appropriate
against the promoter for
ing provisions of various
Panchayat (Registration of Colonies,
& Condition), Rules 1993 and
Town and Country Planning Act & Rules,
that
since, the promoter has not
taken any approvals before selling
Case closed
be sent for records.



26/8/2020

Registrar

Real Estate Regulatory Authority
Chhattisgarh, Raipur